

नेमाराम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 32/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/95

धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा झाड़ेली के खाता संख्या 979 के खसरा नम्बर 1711/448 रकबा 0.4522 हैक्टेयर तथा मौजा ऐवाद में खाता संख्या 648 के खसरा नम्बर 973/89 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम नेमादास पुत्र गणेशदास के स्थान पर नेमाराम पुत्र गणेशदास दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:- : आदेश : -

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा झाड़ेली के खाता संख्या 979 के खसरा नम्बर 1711/448 रकबा 0.4522 हैक्टेयर तथा मौजा ऐवाद में खाता संख्या 648 के खसरा नम्बर 973/89 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम नेमादास पुत्र गणेशदास के स्थान पर नेमाराम पुत्र गणेशदास दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरासत करे।

आदेश आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)